



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1948 (श०)

(सं० पटना 1116) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर 2026

सं० एल०जी०-01-01/2025-7575/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 30, 2026]

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

- (1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।

2. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 7 में संशोधन।—

(1) धारा-7 की उपधारा-11 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—

“विश्वविद्यालय शिक्षण, शोध एवं प्रसार शिक्षा तथा अन्य संबंधित पदों का सृजन राज्य सरकार की पूर्वानुमति से करेगा तथा इन पदों पर नियुक्ति हेतु अध्यायचना कृषि विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य आयोग को प्रेषित करेगा।”

(2) धारा-7 की उपधारा-12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—

“अधिनियम की धारा-7 के उपधारा-11 में वर्णित पदों के अतिरिक्त किसी भी तकनीकी, अराजपत्रित पदों का सृजन विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्वानुमति से करेगा तथा इन पदों पर नियुक्ति हेतु अध्यायचना कृषि विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य आयोग को प्रेषित करेगा।”

बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

15 सितम्बर 2026

सं० एल०जी०-01-01/2025-7576/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2026 को अनुमत बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 30, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

[Bihar Act 30, 2026]

Bihar Agricultural University (Amendment) Act, 2025

AN

ACT

To amend the Bihar Agricultural University Act, 2010 (Bihar Act 12, 2010).

Be it enacted by the Bihar State Legislature in the seventy-sixth year of the Republic of India as follows:

1. *Short title, extent and commencement.*—

- (1) This Act may be called the Bihar Agricultural University (Amendment) Act, 2025.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force from such date as may be appointed by the Government by notification in the Official Gazette.

2. *Amendment in Section 7 of Bihar Act 12, 2010.—*

(1) *Sub section (11) of section 7 of the said Act shall be Substituted by the following:-*

“The University shall create teaching, research and extension education and other related posts with the prior approval of the State Government and shall send the requisition for appointment to these posts to Bihar Public Service Commission or any other Commission authorized by the State Government through the Agriculture Department, Government of Bihar.”

(2) *Sub section (12) of section 7 of the said Act shall be Substituted by the following:-*

“In addition to the posts mentioned in sub-section-11 of section-7 of the Act, any technical and non-gazetted posts shall be created by the University with the prior approval of the State Government and the requisition for appointment to these posts shall be sent through the Agriculture Department, Government of Bihar to Bihar Public Service Commission/Bihar Technical Service Commission/Bihar Staff Selection Commission or any other commission authorized by the State Government.”

Balram Dubey,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1116—571+400-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>